राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6688 /06

वासुदेव उर्फ तुरी,राजू व जय किशन बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक15.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री विनय पाल यादव, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थीगण ओर से

श्री आर पी कुलदीप , विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य-

-

अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत की गयी सामग्री/ केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त-प्रार्थीगण के विरूद्ध परिवादी की दुकान में घुसकर उसके साथ मारपीट करने का भी आरोप है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपुयक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व इस मामले में अभियुक्त-प्रार्थीगण की बतायी गयी लिप्तता, लगाये गये आरोप व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त- प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

फलत:अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस प्रक्रम पर अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि वे स्वयं को सक्षम न्यायालय के समक्ष समर्पित करने को तत्पर है।

इस संदर्भ में इतना ही अंकित किया जाना उपयुक्त होगा कि अभियुक्त-प्रार्थीगण ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

यदि अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को समर्पित कर जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे तो सम्बन्धित सक्षम न्यायालय, प्रार्थीगण जमानत प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत ढंग से विचार कर यथा सम्भव उसका शीघ्र निस्तारण कर देंवे।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)